

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
संस्थान

अतारंकित प्रश्न संख्या : 3133

06 फरवरी, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या

सामान्य शल्यचिकित्सा प्रक्रिया

3133. श्री

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह प्रश्न का उत्तर देंगे ?

- (क) क्या सरकार ने रोगों के कूट वर्गीकरण और सामान्य शल्यचिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे मोतियाबिन्द, गुदा प्रतिरोपण, एंजियोप्लास्टो इत्यादि हेतु मानकोकृत दर निर्धारित करना प्रोत्साहित किया है, निजी और सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्तर पर उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया है ;
- (ख) यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और किसे लागू किया जाएगा ;
- (ग) कृत्रिम रूप से चिकित्सा बिलों को बढ़ाए जाने से निवारण हेतु, जहाँ रोगियों को अतिरिक्त खर्च करना पड़े, क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- (क) (ख): स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों के अन्तर्गत, ज/स क्षेत्र में चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए निदश/प्रतिदिश दर निर्धारित की जा रही है।
- (ग) कृत्रिम रूप से चिकित्सा बिलों को बढ़ाए जाने से निवारण हेतु, जहाँ रोगियों को अतिरिक्त खर्च करना पड़े, क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?
- श्री अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली।
- कृत्निकल प्रक्रिया (क) के लिए, 2010 के आदेशों के अन्तर्गत, ज/स क्षेत्र में चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए निदश/प्रतिदिश दर निर्धारित की जा रही है।
- कृत्निकल प्रक्रिया (केन्द्र) के लिए, 2012 के आदेशों के अन्तर्गत, ज/स क्षेत्र में चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए निदश/प्रतिदिश दर निर्धारित की जा रही है।

